तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जिस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/5/25		

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीया अधिवक्ता की ओर से बहस प्रार्थना पत्र की गई। जो सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0 में खाता सं0 नया 271 पुराना 258 की खसरा नं0 32 रकबा 0.81 है0 आराजी स्थित है। उक्त आराजी वादीना एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। उक्त राजस्व अभिलेख में वादीनी का नाम लाड बाई पुत्री माधोलाल के रूप में दर्ज रिकार्ड है। वादीनी उक्त आराजी में प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 के साथ निरन्तर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है तथा वर्तमान में भी काबिज है। वादीनी एवं प्रतिवादी सं0 1 माधोलाल जी के वारिस एवं उत्तराधिकारी है। वादीनी का वास्तविक नाम विमला देवी पुत्री माधोलाल (पत्नी मोहनलाल) है। वादीनी के माता पिता द्वारा बचपन में वादीनी को प्यार से बोलते नाम लाडबाई के नाम से भी पुकारा जाता था। वादिनी के रिकॉर्ड मतदाता पहिचान पत्र आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन–आधार कार्ड बैंक में विमला देवी दर्ज हो रहा है, किंतु ग्राम भीमपुरा के उक्त राजस्व अभिलेख में जमाबंदी में वादीनी का बोलता नाम लाडबाई दर्ज होने से काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम भीमपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा की उक्त वर्णित आराजी ख0नं0 32 रकबा 0.81 है0 में वादीनी का नाम लाड बाई पुत्री माधोलाल को दुरूस्त फरमाकर लाडबाई उर्फ विमला देवी पुत्री माधोलाल दर्ज फरमाया जावें।

वाद–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलबी वास्ते नोटिस प्रेषित किये गये।

वादी के वाद–पत्र के सम्बन्ध में प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 की ओर से जवाब दावा पेश कर वाद पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली एवं पत्रावली में सलंग्न दस्तावेज न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कोटा आदेश, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पेनकार्ड एवं राशन कार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह स्पष्ट है कि लाड बाई एवं विमला देवी एक ही महिला के नाम है। उपरोक्तानुसार बाद अवलोकन वाद–पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत् वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम भीमपुरा पटवार हल्का धाकड़खेड़ी में खसरा नं0 32 रकबा 0.81 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी का नाम लाड बाई पुत्री माधोलाल के स्थान पर लाड बाई उर्फ विमला देवी पुत्री माधोलाल दर्ज किया जावे।

उक्त निर्णय आज दिनाक 22/5/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]